

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ

(223/1 सिविल लाइन मेरठ-250001)

पत्रांक 1907 / 14-1 दिनांक, मेरठ 04 दिसम्बर, 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय:- जनपद मेरठ में गढ़-मेरठ-बागपत-सोनीपत रोड (SH-14) के कि0मी0 53 (Ch. 52.540) पर खसरा नम्बर 103 व 104 ग्राम मलियाना, जिला-मेरठ पर रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.079198 हे0 संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

(Proposal No.- FP/UP/Others/31597/2018)

संदर्भ:- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ का पत्रांक 3257/14-1 दिनांक 26.11.2018।

महोदय,

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ के संदर्भित पत्र से विषयक प्रस्ताव संस्तुति सहित प्राप्त हुआ है। अतः उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए इस कार्यालय की संस्तुति सहित 03 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(ललित कुमार वर्मा)

मुख्य वन संरक्षक,
प्रभारी वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।

पत्रांक / 14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जब तक उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार एवं उ0प्र0 शासन से विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक सम्बन्धित क्षेत्र में किसी भी दशा में कार्य न होने दिया जाये। प्रभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दे दिये जाये कि समय-समय पर क्षेत्र का भ्रमण कर निगरानी करते रहे।

(ललित कुमार वर्मा)

मुख्य वन संरक्षक,
प्रभारी वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।

भाग -III

जनपद मेरठ में गढ़-मेरठ-बागपत-सोनीपत रोड (SH-14) के कि०मी० 53 (Ch. 52.540) पर खसरा नम्बर 103 व 104 ग्राम मलियाना, जिला-मेरठ पर रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.079198 हे० संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

(Proposal No.-FP/UP/Others/31597/2018)

14.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां, तो निरीक्षक नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सूझावों से सहमत है।	सहमत हैं
16.	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

तिथि :- 03-12-2018

हस्ताक्षर

स्थान :- मेरठ

नाम और पदनाम -
सरकारी मोहर-

(ललित कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक,
प्रभारी वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।